भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2172
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-पासपोर्ट शुरू किए जाने की स्थिति और समय-सीमा

2172 **श्री कार्तिकेय शर्मा:**
क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के अंतर्गत ई-पासपोर्ट शुरू करने की वर्तमान स्थिति और समय-सीमा क्या है, जिसमें चिप-युक्त पासपोर्ट जारी करने वाले पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या भी शामिल है;
(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के मानकों को पूरा करने के लिए विस्तारित पहुंच नियंत्रण, उन्नत बायोमेट्रिक भंडारण, या अद्यतन प्रमुख लोक अवसंरचना नवाचार जैसी अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएँ जोड़ी जा रही हैं; और
(ग) क्या विमान पत्तनों पर स्वचालित आव्रजन हेतु रूपरेखा सहित ई-गेट इंटरऑपरेबिलिटी के लिए वैश्विक साझेदारों या सीमा नियंत्रण एजेंसियों को शामिल किया गया है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) मंत्रालय ने भारत में सभी 37 पासपोर्ट कार्यालयों, उनके संबंधित 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और देश भर में 450 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) में ई-पासपोर्ट और पासपोर्ट सेवा परियोजना (पीएसपी वी2.0) का उन्नत संस्करण 2.0 शुरू किया है।

(ख) ई-पासपोर्ट जारी करना आईसीएओ दिशानिर्देशों के अनुरूप है तथा ई-पासपोर्ट, चिप और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषताएं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) दस्तावेज़ 9303 में निर्दिष्ट हैं।

(ग) आप्रवासन जांच केन्द्रों पर जहां ई-गेट स्थापित किए गए हैं, ई-पासपोर्ट सीमा नियंत्रण एजेंसियों के साथ इंटरफेस की सुविधा प्रदान करेगा और ई-गेट के साथ इसके एकीकरण से हवाई अड्डों पर आप्रवासन प्रक्रिया सुचारू हो जाएगी।
